न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रेमलता बनाम मुरली

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.5.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल खसरा सं0 74 रकबा 0.3800हे0 वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उजर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 11.5.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) 11-5-22.............पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक.......22-6-22 को पेश हो। रीडर	

22-6-22 वकील प्रार्थी उप०। इंतजार तामील पत्रावली दिनांक 10-8-22 को पेश हो।

10-8-22 वकील प्रार्थी उप०। पी० साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। आयन्दा। दिनांक 16-11-22 को पेश हो।
(हस्ताक्षर)

16-11-23 पत्रावली पेश हुई। वादी का मूलवाद अदम पैरवी अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थनापत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।